"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2011—कार्तिक 25, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई घटना की न्यायिक जांच के लिये विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है, आयोग द्वारा तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपा जाना था, उसी अनुक्रम में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2011 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि की गई थी, चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में 6 माह (दिनांक 12-11-2011 से दिनांक 11-04-2012 तक) और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.